



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032021-225893
CG-DL-E-13032021-225893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942

No. 97]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

[भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए उपयुक्तता प्रदान करने हेतु न्यूनतम आवश्यक शर्त) विनियम, 2020]

फा. सं. 11-1/2019-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :-

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए उपयुक्तता प्रदान करने हेतु न्यूनतम आवश्यक शर्त) विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
- ये विनियम भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- 'अधिनियम' का अभिप्राय समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) से है;
- 'परिषद्' का अभिप्राय 1947 के अधिनियम के तहत गठित भारतीय उपचर्या परिषद् से है;
- 'एसएनआरसी' का अभिप्राय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किसी भी नाम से गठित तथा बोली जाने वाली राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषद् से है;
- 'ऑगज़िलरी नर्स एंड मिडवाइफरी (एएनएम)' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-I में शामिल डिप्लोमा इन ऑगज़िलरी नर्स एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण से है;

- (v) 'जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम)' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-I में शामिल डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण से है;
- (vi) 'बी.एससी. (नर्सिंग)' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-II में शामिल 4-वर्षीय बी.एससी. (नर्सिंग) स्नातक प्रशिक्षण से है;
- (vii) 'पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-II में शामिल 2-वर्षीय पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) स्नातक प्रशिक्षण से है;
- (viii) 'एम.एससी. (नर्सिंग)' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-II में शामिल 2-वर्षीय एम.एससी. (नर्सिंग) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण से है;
- (ix) 'एनपीसीसी' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-II में शामिल बी.एससी. (नर्सिंग) डिग्री धारकों को गंभीर रूप से बीमार रोगियों को उन्नत नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए दिए जाने वाले 2-वर्षीय नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर में स्नातकोत्तर आवासीय प्रशिक्षण से है।

3. न्यूनतम आवश्यक शर्तें (एनएम शुरू करने के लिए)

- (i) निम्नलिखित संस्थान/संगठन एनएम स्कूल स्थापित करने/खोलने के लिए पात्र हैं।
 - अ) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय;
 - ब) पंजीकृत निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट;
 - स) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संगठन, जिसमें मिशनरी संगठन शामिल हैं;
 - द) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी।
 - (ii) पात्र संस्थानों/संगठनों को, वहां की राज्य सरकार, जहां एनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की जानी है, से अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम व पते (जैसा कि ट्रस्ट डीड या मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित हो) के साथ स्कूल/नर्सिंग संस्थान का नाम तथा पते का पूरा विवरण भी अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र में उल्लिखित होना चाहिए।
 - (iii) अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के पश्चात, प्रत्येक पात्र संस्थान को संबंधित एसएनआरसी से विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए एनएम कार्यक्रम के लिए मान्यता लेनी होगी, जोकि एक अनिवार्य आवश्यकता है।
 - (iv) परिषद् द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों/प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति के पश्चात मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप अध्यापन संकाय और नैदानिक एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण किया जाएगा।
- *बशर्ते, प्रशिक्षण संस्थान, एसएनआरसी से मान्यता प्राप्त करने के 6 माह के भीतर, अधिनियम की धारा 13 के तहत परिषद् को वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा।

टिप्पणी: एनएम में प्रवेश केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रतिबंधित है।

4. न्यूनतम आवश्यक शर्तें [जीएनएम तथा बी.एससी. (नर्सिंग) शुरू करने के लिए]

- (i) निम्नलिखित संस्थान/संगठन जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग/बी.एससी. (नर्सिंग) कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थापित करने/खोलने के लिए पात्र हैं।
 - अ) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय;
 - ब) पंजीकृत निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट;
 - स) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संगठन, जिसमें मिशनरी संगठन शामिल हैं;
 - द) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी।
- (ii) पात्र संस्थानों/संगठनों का स्वयं का 100 शय्या वाला मूल अस्पताल होना चाहिए।

बशर्ते, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में स्वयं के मूल अस्पताल की आवश्यकता से छूट दी गई है।

 - अ) जनजातीय क्षेत्र — अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्र [ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो];
 - ब) पहाड़ी क्षेत्र — केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उत्तर-पूर्वीय राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड।
- (iii) पात्र संस्थानों/संगठनों को, वहां की राज्य सरकार, जहां जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग) कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना की जानी है, से अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम व पते (जैसा कि ट्रस्ट डीड या मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित हो) के साथ कॉलेज/नर्सिंग संस्थान का नाम तथा पते का पूरा विवरण भी अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र में उल्लिखित होना चाहिए।

- (iv) अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के पश्चात्, प्रत्येक पात्र संस्थान को संबंधित एसएनआरसी से विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए जीएनएम तथा बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए मान्यता लेनी होगी, जोकि एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- (v) परिषद् द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों/प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति के पश्चात् मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप अध्यापन संकाय और नैदानिक एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण किया जाएगा।

*बशर्ते, प्रशिक्षण संस्थान, एसएनआरसी से मान्यता प्राप्त करने के 6 माह के भीतर, अधिनियम की धारा 13 के तहत परिषद् को वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा।

5. मूल अस्पताल {जीएनएम तथा बी.एससी. (नर्सिंग) के लिए लागू}

किसी भी नर्सिंग संस्थान के लिए मूल अस्पताल से तात्पर्य है कि नर्सिंग संस्थान तथा अस्पताल एक ही ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए जाने चाहिए।

अथवा

एक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित नर्सिंग संस्थान के लिए 'मूल अस्पताल' से तात्पर्य है कि अस्पताल ट्रस्ट के स्वामित्व और नियंत्रण वाला होगा अथवा ट्रस्ट के किसी सदस्य के प्रबंधन और नियंत्रण वाला होगा। यदि अस्पताल का मालिक ट्रस्ट का एक सदस्य है, तो अस्पताल नर्सिंग संस्थान के चालू रहने तक 'मूल अस्पताल' के रूप में कार्य करता रहेगा। वचन पत्र में इस आशय का भी उल्लेख होना चाहिए कि ट्रस्ट का सदस्य अस्पताल को किसी अन्य नर्सिंग संस्थान के लिए 'मूल/संबद्ध अस्पताल' के रूप में अनुमति नहीं देगा और ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत यह वचन पत्र कम से कम 30 वर्ष के लिए लागू होगा (अर्थात् वचन पत्र पर ट्रस्ट के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे)।

मूल अस्पताल की सभी शय्या एक ही अस्पताल में अर्थात् एक ही भवन/एक ही परिसर में होंगे। इसके अलावा, मूल अस्पताल उसी राज्य में होगा, जहां संस्थान स्थित है।

अ) यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी विशेष अस्पताल को एक बार 'मूल अस्पताल' के रूप में दर्शाया जाता है और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए नर्सिंग संस्थान को अनुमति दी जाती है, तो, अनुमति/उपयुक्तता तब तक वैध रहेगी जब तक उक्त अस्पताल एक 'मूल अस्पताल' के रूप में संबद्ध है।

ब) यदि ट्रस्ट के सदस्य द्वारा दिए गए 'वचन' को रद्द किया जाता है, तो जारी की गई अनुमति/उपयुक्तता पत्र को तत्काल प्रभाव से कालातीत/रद्द माना जाएगा।

6. ट्रस्ट/सोसायटी में बदलाव {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

(i) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट/सोसायटी को खरीदा नहीं जा सकता है, तथापि, सदस्य/ट्रस्टी बदल सकते हैं। अतः संस्थान के खरीदे जाने पर या सदस्यता में बदलाव होने पर कार्यक्रम की निरंतरता नहीं मानी जाएगी। संस्थान के खरीदे जाने या नियंत्रण बदले जाने पर उसे बंद माना जाएगा। और कार्यक्रम के साथ ट्रस्ट/सोसायटी के नाम का उल्लेख करते हुए एक नए सरकारी आदेश की आवश्यकता होगी।

(ii) सोसायटी की सदस्यता में बदलाव/ट्रस्ट व ट्रस्टियों में बदलाव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के माध्यम से निगमित करने के तुरंत बाद प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(iii) कानूनन, एक ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा कई संस्थान खोले जा सकते हैं, तथापि, इन्हें एक ट्रस्ट के दायरे में एक ही संस्थान माना जाएगा। इस प्रकार, एक ट्रस्ट द्वारा एक शहर/नगर में केवल एक ही नर्सिंग संस्थान खोला जा सकता है।

(iv) यदि किसी शहर या नगर में पहले से ही एक संस्था संक्षिप्त नाम के साथ मौजूद है (उदाहरण के लिए आर के नर्सिंग कॉलेज), तो विस्तारित नाम (राम कृष्ण कॉलेज ऑफ नर्सिंग) के साथ किसी अन्य संस्थान की अनुमति नहीं होगी।

(v) किन्हीं भी दो संस्थानों का एक ही शहर/नगर में एक नाम नहीं होगा।

7. पते में बदलाव {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

एसएनआरसी द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता हो कि नर्सिंग संस्थान को संकेतित पते पर नए भवन/परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है। जारी किए गए प्रमाणपत्र में पूरा पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। जारी किए गए प्रमाणपत्र में नर्सिंग संस्थान के नए भवन के कुल आच्छादित क्षेत्र और उपलब्ध अध्ययन कक्षों की संख्या मय आकार के साथ-साथ शौचालय, प्रकाश एवं वायु-संचार इत्यादि सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।

8. स्थान परिवर्तन {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

स्थान परिवर्तन (जिला/नगर/शहर/गांव) को नए प्रस्ताव के तहत माना जाएगा अर्थात् राज्य सरकार की ओर से नए अनिवार्यता प्रमाणपत्र और एसएनआरसी से मान्यता लेना अनिवार्य है।

9. परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का सख्त अनुपालन {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

कोई भी संस्थान/एसएनआरसी/विश्वविद्यालय, परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को संशोधित नहीं करेगा। हालांकि, यदि आवश्यकता हो तो वे इकाई/विषय जोड़ सकते हैं।

10. नर्सिंग कार्यक्रमों को बंद करना/पुनः शुरू करना {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

यदि संस्थान द्वारा लगातार 2 वर्ष तक छात्र भर्ती नहीं किए जाते हैं, तो इसे बंद माना जाएगा। संस्थान बंद होने के 5 वर्ष के भीतर अधिनियम की धारा 13 तथा 14 के तहत परिषद् को उपयुक्तता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। निरीक्षण के समय मूल अस्पताल के संबंध में उन पर नए दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे। हालांकि, उपरोक्त छूट केवल पांच वर्ष के लिए वैध होगी। यदि प्रस्ताव संस्थान के बंद होने के वर्ष से 5 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे राज्य सरकार से यथोचित अनिवार्यता प्रमाणपत्र तथा एसएनआरसी से मान्यता के साथ एक नया प्रस्ताव देना होगा। ऐसे मामलों में मूल अस्पताल और घटनानुक्रम के संबंध में नए दिशानिर्देश लागू होंगे।

11. संस्थान के नाम में बदलाव {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

यदि ट्रस्ट/सोसायटी संस्थान के नाम को बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो इसके लिए वैध कारण देना होगा। यदि एसएनआरसी/विश्वविद्यालय ने संस्थान के नाम में बदलाव को स्वीकार कर लिया है तो इसे परिषद् द्वारा स्वीकार किया जा सकता है; बशर्ते, ट्रस्ट/सोसायटी वही हों और उपरोक्त पैराग्राफ संख्या 6 के तहत नहीं आते हों।

12. स्कूल कार्यक्रमों में महिला तथा पुरुष नर्सिंग शिक्षकों का अनुपात (एएनएम तथा जीएनएम के लिए लागू)

निम्नलिखित नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए नर्सिंग शिक्षकों में महिलाओं से पुरुषों का अनुपात निम्नानुसार होगा:—

- (i) एएनएम प्रोग्राम के लिए 4 महिला : 1 पुरुष
- (ii) जीएनएम कार्यक्रम के लिए 7 महिला : 3 पुरुष

13. जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए अंको का पात्रता मानदंड

प्रतिशतता की गणना के लिए अंग्रेजी को छोड़कर 3 (मूल वैकल्पिक) विषयों के अंक लिए जा सकते हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हों।

14. पुनःनिरीक्षण {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

पुनः निरीक्षण के आवेदन पर केवल दो बार विचार किया जाएगा। यदि उसके बाद भी संस्थान में कमी पाई जाती है, तो संस्थान को 5 वर्ष के भीतर अधिनियम की धारा 13 तथा 14 के तहत उपयुक्तता के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, यदि प्रस्ताव 5 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे राज्य सरकार से यथोचित अनिवार्यता प्रमाणपत्र तथा एसएनआरसी से मान्यता के साथ एक नया प्रस्ताव देना होगा।

15. सीटों में वृद्धि {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

अधिनियम की धारा 13 के तहत सीटों में वृद्धि के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण किया जाएगा; यानी, केवल एक आवेदन/प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा, सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए एसएनआरसी से मान्यता लेना अनिवार्य है।

16. भारत सेवक समाज के व्यावसायिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम परिषद् द्वारा मान्य नहीं हैं {एएनएम/जीएनएम/ बी. एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

नर्सिंग कार्यक्रमों में भारत सेवक समाज व्यावसायिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अधिनियम की धारा 10 के तहत परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

17. स्वीकृत सीटों की संख्या {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग) तथा पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) के लिए लागू}

- (i) एएनएम कार्यक्रम के लिए अधिकतम 60 सीटों की स्वीकृति दी जाएगी।
- (ii) जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए अधिकतम 100 सीटों की स्वीकृति दी जाएगी, जिसके लिए संस्थान के पास 300 या उससे अधिक शय्या वाला मूल चिकित्सा कॉलेज या मूल अस्पताल होना चाहिए, बशर्ते, जीएनएम तथा बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम दोनों के संदर्भ में उपलब्ध शिक्षण तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों।

- (iii) जीएनएम तथा बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम दोनों के संदर्भ में उपलब्ध शिक्षण तथा भौतिक सुविधाओं के आधार पर 300 से कम शय्या वाले मूल अस्पताल वाले संस्थानों को जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए अधिकतम 60 सीटों की स्वीकृति दी जाएगी।

नोट: 300 से कम और 100 से अधिक शय्या वाले मूल अस्पताल के लिए केवल 60 सीटों की स्वीकृति दी जाएगी।

- (iv) पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए अधिकतम 60 सीटों की स्वीकृति दी जाएगी।

18. स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग भवन [एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/ एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू]

- (i) स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रयोगशालाओं को साझा कर सकते हैं, यदि वे एक ही नाम के तहत और एक ही ट्रस्ट के तहत एक ही परिसर में हैं, अर्थात् संस्थान एक है लेकिन विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों की पेशकश कर रही है। हालांकि उनके पास उपकरण तथा सामग्री प्रवेश क्षमता के अनुपात में होने चाहिए। अध्ययन कक्ष प्रत्येक कार्यक्रम के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए।
- (ii) और, एक ही संस्थान/ट्रस्ट द्वारा एक ही परिसर में दो एक जैसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है।
- (iii) नर्सिंग संस्थान द्वारा एक ही भवन में सभी नर्सिंग कार्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं, बशर्ते कार्यक्रम वार अपेक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। हालांकि, प्रयोगशालाओं को साझा किया जा सकता है।
- (iv) यदि ट्रस्ट के कुछ अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, तो नर्सिंग कार्यक्रम निर्धारित वर्ग फुट क्षेत्र के साथ अलग ब्लॉक/मंजिल पर होगा।
- (v) नर्सिंग कार्यक्रम अस्पताल परिसर में इस शर्त के साथ हो सकता है कि यह निर्धारित वर्ग फुट क्षेत्र के साथ अलग ब्लॉक/मंजिल पर होगा।
- (vi) सरकार द्वारा लंबा पट्टा माना जाएगा। लेकिन, किराए पर ली गई इमारत को अपना भवन नहीं माना जाएगा।
- (vii) यह अनिवार्य है कि संस्थान की स्थापना के दो वर्ष के भीतर अपना भवन होगा।
- (viii) स्वयं का भवन/पट्टे/किराए पर भवन

- (अ) यदि ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी/सोसायटी अपने स्वामित्व वाली इमारत को एक नर्सिंग कार्यक्रम के लिए पट्टे पर देना चाहता है, तो यह 30 वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ट्रस्ट और भवन के मालिक ट्रस्टी के बीच में हुई लीज डीड में एक शर्त यह होनी चाहिए कि लीज डीड को 30 वर्ष की अवधि तक समाप्त नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि, ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा प्रबंधित नर्सिंग संस्थान के लिए, अपना भवन ट्रस्ट/सोसायटी के स्वामित्व या नियंत्रित अथवा ट्रस्ट/सोसायटी के किसी सदस्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इमारत होगी। अर्थात्, यदि भवन का स्वामी ट्रस्ट/सोसायटी का सदस्य है और वह ट्रस्ट/सोसायटी को भवन 30 वर्ष के लिए पट्टे पर देता/देती है, तो उसे नर्सिंग संस्थान का अपना भवन माना जाएगा।

- (ब) ट्रस्ट/सोसायटी के पक्ष में भवन के विधिवत पंजीकृत उपहार विलेख को 'अपना भवन' माना जाएगा।

इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि, यदि भवन का पट्टा किसी सरकारी प्राधिकरण और ट्रस्ट/नर्सिंग संस्थान के बीच है और पट्टा 30 वर्ष या उससे अधिक के लिए है, तो इसे भी स्वयं का भवन माना जाएगा।

भवन का कोई भी विलेख जो ऊपर दिए गए खंड (अ) या (ब) के अनुसार नहीं है, केवल 'किराये का भवन' माना जाएगा।

- (स) अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा के मामलों में, भवन के दस्तावेजों को विधिवत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

- (द) अपना भवन न होने पर जुर्माना: जिन संस्थानों के पास स्थापना के दो वर्ष के भीतर अपना भवन नहीं है, उन्हें अपना भवन न होने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। लगातार 6 वर्ष तक जुर्माने की राशि एएनएम कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपए, जीएनएम कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपए और कॉलेजिएट कार्यक्रमों [अर्थात् बी.एससी. (नर्सिंग), पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग), एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी] के लिए 1 लाख रुपए है। यदि 6 वर्ष के बाद भी संस्था के पास अपना भवन नहीं है तो अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, संस्थान के ट्रस्टी के साथ 30 वर्ष का पट्टा मान्य है।

19. छात्रावास में छात्रों का रहना [एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/ एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू]

छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता के 30 प्रतिशत के लिए छात्रावास में रहने का न्यूनतम प्रावधान संस्थान के लिए अनिवार्य है और पाठ्यक्रम में निर्धारित अनुसार छात्रावास में कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे।

20. बांड प्रणाली {एएनएम/जीएनएम/बी.एससी. (नर्सिंग)/पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)/एम.एससी. (नर्सिंग) तथा एनपीसीसी के लिए लागू}

छात्रों से सेवा बांड लेना और उनके मूल प्रमाणपत्रों को जबरदस्ती रोके रखना परिषद् द्वारा अनैतिक कार्यवाई मानी जाती है। यदि इस तरह की कोई भी प्रथा परिषद् के संज्ञान में आती है, तो अधिनियम की धारा 14 के तहत गलत संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाई की जाएगी।

21. न्यूनतम आवश्यक शर्तें {पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) शुरू करने के लिए}

- (i) निम्नलिखित संस्थान/संगठन पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र होंगे।
 - अ) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय;
 - ब) पंजीकृत निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट;
 - स) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संगठन, जिसमें मिशनरी संगठन शामिल हैं;
 - द) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी।
- (ii) बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम की पहले से ही पेशकश करने वाले संस्थान, पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र होंगे।
- (iii) पात्र संस्थानों/संगठनों को, वहां की राज्य सरकार, जहां पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम की स्थापना की जानी है, से अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम व पते (जैसा कि ट्रस्ट डीड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित हो) के साथ कॉलेज/नर्सिंग संस्थान का नाम तथा पते का पूरा विवरण भी अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र में उल्लिखित होना चाहिए।
- (iv) अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के पश्चात, प्रत्येक पात्र संस्थान को संबंधित एसएनआरसी से विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए मान्यता लेनी होगी, जोकि एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- (v) परिषद् द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों/प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति के पश्चात मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप अध्यापन संकाय और नैदानिक एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण किया जाएगा।

*बशर्ते, प्रशिक्षण संस्थान, एसएनआरसी से मान्यता प्राप्त करने के 6 माह के भीतर, अधिनियम की धारा 13 के तहत परिषद् को वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा।

नोट: यदि किसी नर्सिंग संस्थान द्वारा डीएनई एंड ए कार्यक्रम पेश किया जा रहा है तो उसका पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम में उन्नयन करने की आवश्यकता है।

22. न्यूनतम आवश्यक शर्तें {एम.एससी. (नर्सिंग) शुरू करने के लिए}

- (i) निम्नलिखित संस्थान/संगठन एम.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र होंगे।
 - अ) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय;
 - ब) पंजीकृत निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट;
 - स) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संगठन, जिसमें मिशनरी संगठन शामिल हैं;
 - द) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी।
- (ii) बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान, जिनका प्रथम बैच उत्तीर्ण कर चुका हो, एम.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र होंगे।

अथवा

निम्नानुसार अपेक्षित शय्या वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल एम.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र होंगे।

i. कार्डियोथोरेकिक नर्सिंग

50 से 100 शय्या वाले कार्डियक अस्पताल, जिनमें स्वयं की अपनी थोरेकिक इकाई या संबद्ध थोरेकिक इकाई के साथ सीसीयू, आईसीसीयू और आईसीयू इकाइयां हों।

ii. क्रिटिकल केयर नर्सिंग

250-500 शय्या वाले अस्पताल, जिनमें 8-10 क्रिटिकल केयर शय्या तथा आईसीयू इकाइयां हों।

iii. प्रसूति नर्सिंग

50 शय्या वाले मूल अस्पताल, जिनमें निम्नलिखित इकाइयां हों

- अ) मातृ और नवजात इकाइयां
- ब) न्यूनतम 500 प्रसव प्रति वर्ष की क्षमता
- स) 8-10 लेवल-II नियोनेटल शय्या
- द) लेवल-III नियोनेटल शय्याओं की संबद्धता

iv. न्यूरोसाइंस नर्सिंग

उन्नत रोग-विषयक, चिकित्सीय तथा अत्याधुनिक नैदानिक सुविधाओं के साथ न्यूनतम 50 शय्या वाले न्यूरो केयर संस्थान।

v. ऑनकोलॉजी नर्सिंग

न्यूनतम 100 शय्या वाले क्षेत्रीय कैंसर केंद्र/कैंसर अस्पताल, जिनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उपशामक देखभाल, और अन्य नैदानिक तथा सहायक सुविधाओं के साथ चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा ऑनकोलॉजी इकाइयां हों।

vi. आर्थोपेडिक तथा पुनर्वास नर्सिंग

250-500 शय्या वाले अस्पताल, जिनमें 50 आर्थोपेडिक शय्या और पुनर्वास इकाइयां हों।

vii. सायकियाट्रिक नर्सिंग

उन्नत रोग-विषयक, चिकित्सीय तथा अत्याधुनिक नैदानिक सुविधाओं के साथ न्यूनतम 50 शय्या वाले सायकियाट्रिक एवं मेंटल इस्टिट्यूट, जिनमें सभी प्रकार के रोगियों (तीव्र, जीर्ण, वयस्क मनोरोग शय्या, बाल मनोरोग शय्या और नशामुक्ति) के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों।

viii. बाल चिकित्सा तथा नवजात नर्सिंग

250-500 शय्या वाले अस्पताल, जिनमें लेवल-II और लेवल-III नियोनेटल आईसीयू सुविधाएं उपलब्ध हों, और नियोनेटल आईसीयू शय्याओं की संख्या 10 या उससे अधिक हो।

ix. शल्य चिकित्सा कक्ष नर्सिंग

250-500 शय्या वाले अस्पताल, जिनमें सामान्य शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा, कार्डियोथोरेकिक, स्त्री रोग एवं प्रसूति, आर्थोपेडिक, आंख, कान, नाम व गले तथा न्यूरोसाइंस संबंधी विकारों के उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों।

x. आपातकाल तथा आपदा नर्सिंग

250-500 शय्या वाले अस्पताल, जिनमें आईसीयू सुविधा तथा 10 आपातकालीन शय्या उपलब्ध हों।

(iii) पात्र संस्थानों/संगठनों को, वहां की राज्य सरकार, जहां एम.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम की स्थापना की जानी है, से अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम व पते (जैसा कि ट्रस्ट डीड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित हो) के साथ कॉलेज/नर्सिंग संस्थान का नाम तथा पते का पूरा विवरण भी अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र में उल्लिखित होना चाहिए।

(iv) अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के पश्चात, प्रत्येक पात्र संस्थान को संबंधित एसएनआरसी से विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए एम.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए मान्यता लेनी होगी, जोकि एक अनिवार्य आवश्यकता है।

(vi) परिषद् द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों/प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति के पश्चात मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप अध्यापन संकाय और नैदानिक एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण किया जाएगा।

*बशर्ते, प्रशिक्षण संस्थान, एसएनआरसी से मान्यता प्राप्त करने के 6 माह के भीतर, अधिनियम की धारा 13 के तहत परिषद् को वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा।

नोट:

अ) परिषद् द्वारा पारित किया गया है कि मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ए.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे।

ब) परिषद् द्वारा यह भी पारित किया गया है कि यदि परिषद् द्वारा अध्ययन केंद्र को अधिनियम की धारा 13 तथा 14 के तहत उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इग्नू से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ए.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे।

23. न्यूनतम आवश्यक शर्तें (एनपीसीसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग शुरू करने के लिए)

(i) निम्नलिखित संस्थान/संगठन एनपीसीसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थापित करने/खोलने के लिए पात्र होंगे।

अ) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय द्वारा स्थापित नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जिनमें न्यूनतम 200 शय्या वाले मूल तृतीयक देखभाल केंद्र हों तथा नर्सिंग में डिग्री कार्यक्रम का संचालन कर रहे हों।

अथवा

ब) अन्य गैर-सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जिनमें न्यूनतम 200 शय्या वाले मूल तृतीयक देखभाल केंद्र हों तथा नर्सिंग में डिग्री कार्यक्रम का संचालन कर रहे हों।

अथवा

कोई भी संस्थान, जिनमें न्यूनतम 200 शय्या वाले मूल तृतीयक देखभाल केंद्र हों तथा डीएनबी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हों।

(ii) अनिवार्यता प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के पश्चात, प्रत्येक पात्र संस्थान को संबंधित एसएनआरसी से विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए एनपीसीसी कार्यक्रम के लिए मान्यता लेनी होगी, जोकि एक अनिवार्य आवश्यकता है।

(iii) परिषद् द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों/प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति के पश्चात मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप अध्यापन संकाय और नैदानिक एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण किया जाएगा।

*बशर्ते, प्रशिक्षण संस्थान, एसएनआरसी से मान्यता प्राप्त करने के 6 माह के भीतर, अधिनियम की धारा 13 के तहत परिषद् को वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र के संबंध में टिप्पणी

अ) यदि एनपीसीसी कार्यक्रम शुरू करने की इच्छा रखने वाला कोई संस्थान पहले से ही परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त बी.एससी. (नर्सिंग) या एम.एससी. (नर्सिंग) (नर्सिंग) कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो उसे राज्य सरकार से एनपीसीसी कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र लेने से छूट दी जाएगी।

ब) यदि कोई संस्थान नर्सों तथा डॉक्टरों के प्रशिक्षण का कोई विश्वविद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम या डीएनबी कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो उसे एनपीसीसी कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) संस्थान को एनपीसीसी कार्यक्रम और उसके छात्रों के लिए जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए और परिषद् के मानकों के अनुरूप कार्यक्रम प्रदान करना चाहिए। इसे निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

अ) अस्पताल न्यूनतम 200 शय्या वाले मूल तृतीयक देखभाल केंद्र होना चाहिए। इसका मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज हो सकता है।

ब) आईसीयू शय्या: अस्पताल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, कार्डियो/कार्डियोथोरेसिक आईसीयू तथा आपातकालीन देखभाल इकाई नाम से न्यूनतम 4 आईसीयू होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक में न्यूनतम 4 शय्या और कुल न्यूनतम 20 शय्या होने चाहिए।

नोट: एनपीसीसी कार्यक्रम शुरू करने वाले संस्थान के लिए मूल अस्पताल के संदर्भ में अन्य कार्यक्रमों के लिए दी गई परिभाषा लागू नहीं होगी।

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./532/2020-21]

INDIAN NURSING COUNCIL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2021

[INDIAN NURSING COUNCIL (MINIMUM PRE-REQUISITES FOR GRANTING SUITABILITY TO NURSING PROGRAMS) REGULATIONS, 2020]

F. No. 11-1/2019-INC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), as amended from time to time, the Indian Nursing Council hereby makes the following regulations namely:—

1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Indian Nursing Council (Minimum pre-requisites for granting suitability to Nursing Programs) Regulations, 2020.
- (ii) These shall come into force on the date of its notification in the official Gazette of India.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- (i) 'the Act' means the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) as amended from time to time;
- (ii) 'the Council' means the Indian Nursing Council constituted under the Act of 1947;
- (iii) 'SNRC' means the State Nurses and Midwives Registration Council by whichever name constituted and called by the respective State Governments;
- (iv) 'Auxiliary Nurse and Midwifery (ANM)' means the Diploma in Auxiliary Nurse and Midwifery qualification recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-I of the Schedule to the Act;
- (v) 'General Nursing and Midwifery (GNM)' means the Diploma in General Nursing and Midwifery qualification recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-I of the Schedule to the Act;
- (vi) 'B.Sc. (Nursing)' means the four year B.Sc. (Nursing) degree qualification in nursing recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-II of the Schedule to the Act;
- (vii) 'P.B.B.Sc. (Nursing)' means the two year Post Basic B.Sc. (Nursing) degree qualification in nursing recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-II of the Schedule to the Act;
- (viii) 'M.Sc. (Nursing)' means the two year M.Sc. (Nursing) Post Graduate degree qualification in nursing recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-II of the Schedule to the Act;
- (ix) 'NPCC' means the two year Post Graduate Residency Qualification in Nurse Practitioner in Critical Care offered to B.Sc. (Nursing) degree holders to provide training in advanced nursing care to patients who are critically ill and recognized by the Council under Section 10 of the Act and included in Part-II of the Schedule to the Act;

3. Minimum pre-requisites (for starting ANM)

- (i) The following Establishments/Organizations are eligible to establish/open an ANM School.
 - a) Central Government/State Government/Local Body;
 - b) Registered Private or Public Trust;
 - c) Organizations Registered under Societies Registration Act including Missionary Organizations;
 - d) Companies incorporated under Section 8 of Company's Act.
- (ii) The eligible Establishments/Organizations should obtain Essentiality Certificate/No Objection Certificate from the concerned State Government where the ANM School of Nursing is sought to be established. The particulars of the name of the School/Nursing Institution along with the name of the Trust/Society [as mentioned in Trust Deed or Memorandum of Association] as also full address shall be mentioned in No Objection Certificate/Essentiality Certificate.
- (iii) After receipt of the Essentiality Certificate/No Objection Certificate, the eligible institution shall get recognition from the concerned SNRC for the ANM program for the particular Academic Year, which is a mandatory requirement.
- (iv) The Council shall after receipt of the above documents/proposal online would then conduct Statutory Inspection of the recognized training nursing institution under Section 13 of the Act in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching Faculty, Clinical and Infrastructural Facilities in conformity with Regulations framed under the provisions of the Act.

*Provided that training institutions shall apply for statutory inspection, under Section 13 of the Act, to the Council within 6 months from obtaining recognition from the SNRC.

Note: Admission for ANM is restricted only for female candidates.

4. Minimum pre-requisites {for starting GNM and B.Sc. (Nursing)}

- (i) The following Establishments/Organizations are eligible to establish/open a GNM School of Nursing/ B.Sc. (Nursing) College of Nursing.
 - a) Central Government/State Government/Local Body;
 - b) Registered Private or Public Trust;
 - c) Organizations registered under Societies Registration Act including Missionary Organizations;
 - d) Companies incorporated under Section 8 of Company's Act.
- (ii) The eligible Establishments/Organizations should have their own 100 bedded Parent Hospital.
 Provided that in respect of Tribal and Hilly Area the requirement of own Parent Hospital is exempted.
 - a. Tribal area – Scheduled Notified Area {Areas as the President of India may by order declare to be Scheduled Areas};
 - b. Hilly area – Union Territory of Jammu & Kashmir, Union Territory of Ladakh, North East States, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
- (iii) The eligible Establishments/Organizations should obtain Essentiality Certificate/No Objection Certificate from the concerned State Government where the GNM and B.Sc. (Nursing) College of Nursing is sought to be established. The particulars of the name of the College/Nursing Institution along with the name of the Trust/Society [as mentioned in Trust Deed or Memorandum of Association] as also full address shall be mentioned in No Objection Certificate/Essentiality Certificate.
- (iv) After receipt of the Essentiality Certificate/No Objection Certificate, the eligible institution shall get recognition from the concerned SNRC for the GNM & B.Sc. (Nursing) program for the particular Academic Year, which is a mandatory requirement.
- (v) The Council shall after receipt of the above documents/proposal online would then conduct Statutory Inspection of the recognized training nursing institution under Section 13 of the Act in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching Faculty, Clinical and Infrastructural Facilities in conformity with Regulations framed under the provisions of the Act.

*Provided that training institutions shall apply for statutory inspection, under Section 13 of the Act, to the Council within 6 months from obtaining recognition from the SNRC.

5. Parent Hospital {applicable to GNM and B.Sc. (Nursing)}

Parent Hospital for a nursing institution having the same Trust which has established nursing institution as well as the hospital.

OR

For a nursing institution (managed by Trust) a 'Parent Hospital' would be a hospital either owned and controlled by the Trust or managed and controlled by a Member of the Trust. In case the owner of the hospital is a member of the Trust then the hospital would continue to function as a 'Parent Hospital' till the life of the nursing institution. The undertaking would also be to the effect that the Member of the Trust would not allow the hospital to be treated as 'Parent/Affiliated Hospital' to any other nursing institution and will be for minimum 30 years [i.e. signed by all members of Trust] to the undertaking to be submitted from the Members of the Trust.

The beds of Parent Hospital shall be in one Unitary Hospital i.e. in same building/same campus. Further, the Parent Hospital shall be in the same State i.e. where the institution is located.

- a. It is to be noted that once a particular hospital is shown as 'Parent Hospital' and permission given to the nursing institution to conduct nursing courses, then, the permission/suitability granted would last as long as the said Hospital is attached as a 'Parent Hospital'.

- b. In case the member of the Trust withdraws the Undertaking given, in that event the permission/suitability letter issued would be deemed to have lapsed/stand withdrawn with immediate effect.

6. Change of Trust/Society {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

- (i) The Trust/Society cannot be purchased as per Indian Trust Act, but there can be change of Members/ Trustees. It is therefore the purchase of institution or change of membership will not be considered for continuation of the program. The institution which is purchased/taken over will be considered as closed. And a fresh Government Order shall be required mentioning the Trust/Society name along with programs.
- (ii) The change of membership in Society/change of Trust and Trustees to be submitted immediately after incorporating through Registrar Cooperative Societies/Indian Trust Act.
- (iii) As per law Trust/Society can open number of institutions, but it will be considered as one institution under the ambit of one Trust. It is therefore, a Trust can open only one nursing institution in one city/town.
- (iv) If already an institution is existing in that city or town with an abbreviated name (e.g. R K College of Nursing) then another institution with expanded name (Rama Krishna College of Nursing) will not be allowed).
- (v) No two institutions will have same name in same city/town.

7. Change of Address {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

SNRC shall issue a certificate, certifying the fact that the nursing institution is being shifted to the new building/premises at the address indicated. The certificate issued should indicate clearly complete address. The certificate issued should indicate clearly the total covered area of the nursing institution, number of rooms along with area specification, provision of adequate washroom facilities, lighting, and ventilation etc. of the new building.

8. Change of Location {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

Change of location (District/Town/City/Village) shall be considered under new proposal i.e. fresh Essentiality Certificate from the State Government and recognition from the SNRC is mandatory.

9. Strict Compliance of the Syllabus prescribed by the Council {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

No Institutions/SNRC/University will modify the syllabi prescribed by the Council for a course. However they can add units/subjects if need be.

10. Close/Re-start of the Nursing Programs {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

If Institutions have not admitted the students for 2 consecutive years, it shall be considered as closed. Institute may apply for suitability to the Council under Section 13 & 14 of the Act through online within 5 years of the closure. While conducting the inspection they will not be covered under the new guidelines with regard to Parent Hospital. However, the above relaxation will be applicable only for five years. In case the proposal is submitted after 5 years from the year of closure, it has to be a fresh proposal with due Essentiality Certificate from the State Government and recognition from the SNRC. In such cases the new guidelines with regards to parent hospital and calendar of events shall be applicable.

11. Change of Name of the Institution {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/ M.Sc. (Nursing) and NPCC}

If the Trust/Society proposes to change the name of the Institute, a valid reason has to be submitted. If SNRC/University have accepted the change of name of Institute it may be accepted by the Council provided the Trust/Society is same and does not come under Para No. 6 above.

12. Ratio of FEMALE and MALE Nursing Teachers in School Programs {applicable to ANM and GNM}

Ratio of Female to Male in Nursing Teachers for the following nursing programs shall be as given below:—

- (i) 4 Female : 1 male for ANM program
- (ii) 7 Female : 3 male for GNM program

13. Qualifying Criteria in marks for GNM course

Three (core elective) subject marks may be taken for calculating the percentage of marks excluding the marks in English. Also, it has to be ensured the candidate has pass marks in English.

14. Re-Inspection {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

Re-inspection application shall be considered only two times. If the institution is found deficient even after that, then the institution shall have to submit a proposal for Suitability under Section 13 & 14 of the Act online within 5 years. However in case the proposal is submitted after 5 years it has to be a fresh proposal with due Essentiality Certificate from the State Government and recognition from the SNRC.

15. Enhancement of Seats {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

Inspection for enhancement of seats under Section 13 of the Act shall be conducted only once in an Academic Year i.e. only one application/proposal shall be accepted, in one Academic Year. Further, SNRC approval is mandatory for enhancement of seats.

16. Vocational Certificate Courses of Bharat Sevak Samaj not recognized by the Council {applicable for ANM and GNM}

Bharat Sevak Samaj Vocational Certificate courses in nursing programs is not recognized by the Council under Section 10 of the Act.

17. Number of Sanctioned Seats {applicable for ANM/GNM/B.Sc. (Nursing) and P.B.B.Sc. (Nursing)}

- (i) Maximum of 60 seats will be sanctioned for ANM program.
- (ii) Maximum of 100 seats will be sanctioned for the GNM/B.Sc. (Nursing) program for which institute must have parent medical college or parent hospital having 300 beds or above subject to availability of teaching and physical facilities for both GNM and B.Sc. (Nursing) programs respectively.
- (iii) Maximum of 60 seats will be sanctioned for the GNM/B.Sc. (Nursing) program with parent hospital having less than 300 beds on the basis of teaching and physical facilities for both GNM and B.Sc. (Nursing) programs respectively.

Note : For parent hospital having less than 300 beds and more than 100 beds only 60 seats will be sanctioned.

- (iv) Maximum of 60 seats will be sanctioned for P.B.B.Sc. (Nursing).

18. Building {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

- (i) School and College of Nursing can share laboratories, if they are in same campus under same name and under same Trust, that is the institution is one but offering different nursing programs. However, they should have equipments and articles proportionate to the strength of admission. The class rooms should be available as per the requirement stipulated by the Council for each program.
- (ii) Further, two same programs by the same institute/Trust is not allowed in the same campus.
- (iii) The nursing institution can have all the nursing programs in the same building but with availability of requisite program wise infrastructure. However, labs can be shared.

- (iv) If the Trust has some other educational programs, the nursing program shall be in separate block/floor with prescribed sq.ft. area.
- (v) Nursing program may be in hospital premises with a condition that it shall be in separate block/floor with prescribed sq.ft. area.
- (vi) Long lease by the Government will be considered. However, rented building shall not be considered as their own building.
- (vii) It is mandatory that institution shall have its own building within two years of its establishment.
- (viii) Own Building/Lease/Rented Building

- a) If one of the Trustees of Trust/Society desires to lease the building owned by him for nursing program, it should be for a period of 30 years. It should also be ensured that lease deed that is entered into between the Trust and the Trustee, owning the building, should contain a clause that the lease deed cannot be terminated for a period of 30 years.

Further, it is clarified that, for a **nursing institution (managed by a Trust/Society), own building** would be a building either owned and controlled by the Trust/Society or owned and controlled by a member of the Trust/Society. That is, if the owner of the building is a member of the Trust/Society and she/he leases the building to the Trust/Society for 30 years, it will be considered as own building of the nursing institution.

- b) A duly registered gift deed of the building in favor of the Trust/Society should be construed to be 'own building'.

Further it is clarified that if the lease of the building is between any government authority and the Trust/Nursing institution and the lease is for 30 years or more, it will also be considered as own building.

Any deed of the building which is not as per either clause (a) or (b) above shall be considered as 'Rented Building' only.

- c) In cases of irrevocable power of attorney, documents of the building should be duly registered as per law.
- d) **Penalty for not having own building:** Institutions which do not have their own building within two years of establishment has to pay the penalty for not having the own building. The penalty fees is Rs. 50,000 for ANM program, Rs 50,000 for GNM program and Rs. 1 Lakh for Collegiate program {i.e. B.Sc. (Nursing), P.B.B.Sc. (Nursing), M.Sc. (Nursing) and NPCC} for 6 consecutive years. Even after 6 years if the institution does not have own building then action shall be taken under Section 14 of the Act. However, a lease of 30 years is permissible with the Trustee of the institution.

19. Stay of Students in Hostel {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

Minimum provision of hostel accommodation for 30% of the total students' intake is compulsory for the institution and accordingly the staff for hostel shall be provided as prescribed in the syllabi.

20. Bond System {applicable to ANM/GNM/B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing)/M.Sc. (Nursing) and NPCC}

Taking service bonds from students and forcefully retaining their Original Certificates is viewed as an unethical practice by the Council. If any such practice comes to the notice of the Council, appropriate action under Section 14 of the Act will be taken against the erring institution.

21. Minimum pre-requisites {for starting P.B.B.Sc. (Nursing)}

- (i) The following Establishments/Organizations are eligible to start a P.B.B.Sc. (Nursing) program.
 - a) Central Government/State Government/Local Body;
 - b) Registered Private or Public Trust;
 - c) Organizations registered under Societies Registration Act including Missionary Organizations;
 - d) Companies incorporated under Section 8 of Company's Act.

- (ii) An institute already offering B.Sc. (Nursing) program is eligible to start a P.B.B.Sc. (Nursing) program.
- (iii) The eligible Establishments/Organizations should obtain Essentiality Certificate/No Objection Certificate from the concerned State Government where the P.B.B.Sc. (Nursing) program is sought to be established. The particulars of the name of the college/nursing institution along with the name of the Trust/Society [as mentioned in Trust Deed or Memorandum of Association] as also full address shall be mentioned in No Objection Certificate/Essentiality Certificate.
- (iv) After receipt of the Essentiality Certificate/No Objection Certificate, the eligible institution shall get recognition from the concerned SNRC for the P.B.B.Sc. (Nursing) program for the particular Academic Year, which is a mandatory requirement.
- (v) The Council shall after receipt of the above documents/proposal online would then conduct Statutory Inspection of the recognized training nursing institution under Section 13 of the Act in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching Faculty, Clinical and Infrastructural Facilities in conformity with Regulations framed under the provisions of the Act.

*Provided that training institutions shall apply for statutory inspection, under Section 13 of the Act, to the Council within 6 months from obtaining recognition from the SNRC.

Note: DNE & A program if being offered by any nursing institute the same need to be upgraded to P.B.B.Sc. (Nursing).

22. Minimum pre-requisites {for starting M.Sc. (Nursing)}

- (i) The following Establishments/Organizations are eligible to start a M.Sc. (Nursing) program.
 - a) Central Government/State Government/Local Body;
 - b) Registered Private or Public Trust;
 - c) Organizations registered under Societies Registration Act including Missionary Organizations;
 - d) Companies incorporated under Section 8 of Company's Act.
- (ii) An institution offering B.Sc. (Nursing) program wherein one batch has passed out is eligible to start a M.Sc. (Nursing) program.

OR

Super specialty hospital having the following requisite beds is eligible to start a M.Sc. (Nursing) program.

i. **Cardiothoracic Nursing**

50-100 bedded Cardiac Hospital, which has CCU, ICCU and ICU units with own thoracic unit or affiliated thoracic unit.

ii. **Critical Care Nursing**

250-500 bedded hospital, which has a 8-10 beds critical care beds and ICUs

iii. **OBG Nursing**

50 bedded parent hospital having

- a) Mother and neonatal units
- b) Case load of minimum 500 deliveries per year
- c) 8-10 level II neonatal beds.
- d) Affiliation with level III neonatal beds

iv. **Neuro Science Nursing**

Minimum of 50 bedded Neuro care institution with advanced diagnostic, therapeutic and state of the art clinical facilities.

v. **Oncology Nursing**

Regional Cancer centers/Cancer Hospitals having minimum 100 beds, with medical and surgical oncology units with chemotherapy, radiotherapy, palliative care, and other diagnostic & supportive facilities.

vi. **Orthopaedic & Rehabilitation Nursing**

250-500 bedded Hospital, which has a 50 orthopedic beds & rehabilitation units.

vii. **Psychiatric Nursing**

Minimum of 50 bedded institutes of psychiatry and mental health having all types of patients (acute, chronic, adult psychiatric beds, child psychiatric beds and de-addiction facilities), with advanced diagnostic, therapeutic and state of the art clinical facilities.

viii. **Paediatric & Neonatal Nursing**

250-500 beds and level II/III NICU facility, NICU beds: ≥ 10

ix. **Operation Room Nursing**

250-500 bedded Hospital having facilities for General Surgery, Pediatric, Cardiothoracic, Gynaecology and Obstetrics, Orthopaedics, Ophthalmic, ENT and Neuro Surgery.

x. **Emergency and Disaster Nursing**

250-500 bedded Hospital with ICU facility and 10 Emergency beds.

(iii) The eligible Establishments/Organizations should obtain Essentiality Certificate/No Objection Certificate from the concerned State Government where the M.Sc. (Nursing) program is sought to be established. The particulars of the name of the College/Nursing Institution along with the name of the Trust/Society [as mentioned in Trust Deed or Memorandum of Association] as also full address shall be mentioned in No Objection Certificate/Essentiality Certificate.

(iv) After receipt of the Essentiality Certificate/No Objection Certificate, the eligible institution shall get recognition from the concerned SNRC for the M.Sc. (Nursing) program for the particular Academic Year, which is a mandatory requirement.

(v) The Council shall after receipt of the above documents/proposal online would then conduct Statutory Inspection of the recognized training nursing institution under Section 13 of the Act in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching Faculty, Clinical and Infrastructural Facilities in conformity with Regulation framed under the provision of the Act.

*Provided that training institutions shall apply for statutory inspection, under Section 13 of the Act, to the Council within 6 months from obtaining recognition from the SNRC.

Note:

- a. The Council has resolved that the candidates qualifying P.B.B.Sc. (Nursing) from Madhya Pradesh Bhoj University through distance education are not eligible for M.Sc. (Nursing) program.
- b. The Council has also resolved that the candidates qualifying P.B.B.Sc. (Nursing) from IGNOU through distance education are not eligible for M.Sc. (Nursing) program, if the study centres are not found suitable by the Council under Section 13 & 14 of the Act.

23. Minimum pre-requisites (for starting NPCC College of Nursing)

- (i) The following Establishments/Organizations are eligible to establish/open a NPCC College of Nursing.
 - a) The Government (State/Center/Autonomous) nursing teaching institution offering degree programs in nursing having parent tertiary care centre, with a minimum of 200 beds.
- OR
- b) Other Non-Govt. nursing teaching institution offering degree programs in nursing having tertiary care centre, with a minimum of 200 beds.

OR

Any institution having parent tertiary care centre with a minimum of 200 beds offering DNB program.

- (ii) After receipt of the Essentiality Certificate/No Objection Certificate, the eligible institution shall get recognition from the concerned SNRC for the NPCC program for the particular Academic Year, which is a mandatory requirement.
- (iii) The Council shall after receipt of the above documents/proposal online would then conduct Statutory Inspection of the recognized training nursing institution under Section 13 of the Act in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching Faculty, Clinical and Infrastructural Facilities in conformity with Regulation framed under the provision of the Act.

*Provided that training institutions shall apply for statutory inspection, under Section 13 of the Act, to the Council within 6 months from obtaining recognition from the SNRC.

Note regarding Essentiality Certificate

- a. If any institution opting to start NPCC program already has B.Sc. (Nursing) or M.Sc. (Nursing) program recognized by the Council, it will be exempted from No Objection Certificate/Essentiality Certificate for NPCC program from State Government.
- b. If the institution is having any University education program of training nurses and doctors or if they have DNB program, No Objection Certificate will not be required to start NPCC program.
- (iv) The institution must accept the accountability for the NPCC program and its students and offer the program congruent with the Council standards. It must fulfill the following requirements.
 - a. The hospital should be a parent tertiary care centre, with a minimum of 200 beds. It can have a medical college or nursing college.
 - b. ICU Beds: The hospital should have a minimum of 4 ICUs namely medical ICU, surgical ICU, cardio/cardiotoracic ICU and Emergency care unit with a minimum of 5 beds each and total of 20 beds.

Note: For the institution starting NPCC program the definition of the parent hospital as given for other programs will not apply.

Dr. T. DILEEP KUMAR, President
[ADVT.-III/4/Exty./532/2020-21]